रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की तामी जारी हुए
2/2/21	वकील फरिकैन उप० । दि० 29/01/2021 को तलब की गई । तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार पहाडी से प्राप्त हुई । प्राप्त रिपोर्ट पर गौर फरमाया जाया । प्रा० पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 25 (A) स्वीकार किया जाता है । विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । उप खण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)	

Scanned with OKEN Scanner

(19)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 17 / 2020

1. महेन्द्र सिंह पुत्र मदनसिंह जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
2. शेरसिंह पुत्र रामचन्द जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
3. रामवीर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
4. धर्मवीर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी(भरतपुर) राज0।
5. महावीर सिंह पुत्र शेर सिंह जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामधन पुत्र गोरधन जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
2. बलराम पुत्र गोरधन जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
3. जग्गी पुत्र गोरधनजाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
4. रूग्गी पुत्र गोरधनजाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
5. मल्ला पत्नि तेजसिंह जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
6. कन्हैया पुत्र तेजसिंह जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
7. सन्जो पुत्री तेजसिंह जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
8. मन्जो पुत्री तेजसिंह जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
9. मुक्ती पुत्री तेजसिंह जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

10. भौती पुत्री तेजसिंह जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0 नाबालिग जरिये माता खुद मल्हा पत्नि तेजसिंह।
11. सुभाष चन्द पुत्र पूरन जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
12. चन्द्रप्रकाश पुत्र धर्मचन्द जाति गूजर निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
13. भीम पुत्र पूरन जाति लोधा निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
14. शिवराम पुत्र पूरन जाति लोधा निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
15. शारदा पत्नि वीरेन्द्र पूरन जाति लोधा निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
16. पूरनदेई पत्नि कपूर चन्द जाति कोली निवासी कस्बा पहाड़ी तहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
17. हुक्म सिंह पुत्र जीवन जाति जाटव निवासी ग्राम बरखेडातहसील पहाड़ी (भरतपुर) राज0।
18. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी, तहसील पहाड़ी, (भरतपुर) राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री बृजलाल शर्मा वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश बुन्देला वकील अप्रार्थीगण
3. श्री प्रहलाद सिंह वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 02.02.2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1951/0.58, 1952/0.57 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है । आ.0ख0नं0 1946/0.12 व 1950/0.53 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 की आराजी खसरा नम्बर 1949/0.07 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय अप्रार्थीगण संख्या 13 लगायत 16 , आराजी खसरा नम्बर 1945/0.17 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय अप्रार्थी संख्या 17 की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है एवं खसरा नम्बर 1941/0.30 है0 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत पहाडी के नाम से गै0मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो कि मुख्य सडक कामां से पहाडी लगता हुआ है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के जमाने से अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 1951/0.58, एवं 1952/0.57 पर आने जाने के लिए काफी अर्से से आ0ख0न0 1949/.12, 1950/0.53, 1945/0.17, 1946/0.12 में होकर ख0न0 1941/0.30 तक पहुंच कर मुख्य सडक पहाडी से कामां पर आने–जाने के लिए लगभग 30 फुट चौडा रास्ता का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे को परन्तु अप्रार्थीगण ने ख0न0 1949/.12, 1950/0.53, 1945/0.17, 1946/0.12 व 1941/0.30 में जो चालू हालात में लगभग 30 फुट चौडा रास्ता था उसको तोडकर अपने खेतो में मिलाकर अवरूद्ध कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने कृषि उपकरण लाने ले जाने में भारी परेशानी हो रही है जिससे प्रार्थीगण को सख्त हक तल्फी है एवं प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। विधि वजह प्रार्थीगण जरिये अदालत आ0ख0न0 1949/.12, 1950/0.53, 1945/0.17, 1946/0.12 व 1941/0.30 में लगभग 30 फुट चौडा चालू रास्ता को खाली कराकर अपनी कब्जे व खातेदारी की आ0ख0न0 1951/0.58, एवं 1952/0.57 पर आने–जाने के लिए 30 फुट चौडा रास्ता कायम करा पाने के अधिकारी है। आ0ख0न0 1949/.12, 1950/0.53, 1945/0.17, 1946/0.12 व 1941/0.30 में पूर्व में चालू रास्ता को अप्रार्थीगण को रोकने का कानून कोई अधिकार नहीं था परन्तु अप्रार्थीगण के दिल में अब पूर्व से चालू रास्ता की भूमि के बारे में बदयान्ती आ गई है जिसकी बाबत अप्रार्थीगण रास्ते की भूमि को अपनी आराजी में मिलाकर पक्का निर्माण करने की फिराक में है जिसके लिए अप्रार्थीगण ने नींव वगैराह खोदकर बाउन्ड्री बाल करना प्रारम्भ कर दिया है। यदि अप्रार्थीगण ने पक्की बाउन्ड्री बाल कर पक्का निर्माण कार्य कर दिया तो अप्रार्थीगण को अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने व कृषि उपकरण वगैराह लाने ले जाने में भारी परेशानी होगी क्योकि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात में आने जोन का अन्य कोई रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नगद या अन्य किसी प्रकार से न हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थीगण जरिये अप्रार्थीगण को आ0ख0न0 1949/.12, 1950/0.53, 1945/0.17, 1946/0.12 व 1941/0.30में पूर्व में चालू लगभग 30 फुट चौडे रास्ते में किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कर रास्ते को अवरूद्ध नहीं करने से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। आराजी की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है तहसीलदार पहाडी जिसके प्रतिनिधि होने के कारण आ0मुत0 से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड उनकी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसील में रहता है प्रार्थीगण का परिवाद पत्र रास्ता से सम्बन्धित होने के कारण उनको परिवाद पत्र में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। आ0ख0 न0 1949/0.07 में वीरेन्द्र सिंह पुत्र पूरन सिंह का हिस्सा दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है उसके स्थान पर उसकी पत्नि शारदा देवी को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। विवादित आराजी मुतदाविया न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने की वजह से प्रकरण को सुनने का एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थीगण का परिवाद पत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें । प्रार्थीगण को अपने कब्जे काष्त व खातेदारी की आ0ख0न0 1951/0.58 एवं ख0न0 1952/0.57 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय पर आने जाने हेतु आ0ख0न0 1949/.12, 1950/0.53, 1945/0.17, 1946/0.12 व 1941/0.30 में लगभग 30 फुट चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेष फरमाये जावें । अप्रार्थीगण को आ0ख0न0 1949/.12, 1950/0.53, 1945/0.17, 1946/0.12 व 1941/0.30 में स्थित रास्ता लगभग 30 फुट चौडा में किसी प्रकार के निर्माण कार्य कर रास्ता को अवरूद्ध नहीं करने से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 11 व 12 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये । वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) का जबाब पेश नहीं किया।

तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 20.08.2020 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 1951, 1952 में पहुंचने हेतु रास्ता चाहा गया है। जो कि विवादास्पद मौके पर खसरा नम्बर 1949, 1950, 1945, 1946, में प्लॉटिंग होकर पक्के मकान बने हुये है इसके अलावा अद्योहस्ताक्षर कर्त्ता द्वारा मौका निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त आराजीयात दो रोडो पहाडी से कामां एवं पहाडी से नगर बीच स्थित है। दोनो तरफ से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1951, 1952, पर दूरी को भी देखा गया। जिसमें ये देखा गया कि पहाडी कामां रोड से जो प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की मांग की गई है कि दूरी पहाडी से नगर जाने वाले रोड से दूरी की तुलना में दुगनी से ज्यादा है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को नगर रोड व प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1951, 1952 के बीच स्थित आराजी खसरा नम्बर 3943/1932 /0.33 से रास्ता दिया जाना सरल एवं सुगम प्रतीत होता है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.08.2020 पर प्रार्थीगण ने आपत्ति की । प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की बाबत जो मौका रिपोर्ट पेश की है इस रिपोर्ट के साथ पहाडी से कामाँ वाली सडक से व पहाडी से नगर वाली सडक से किन–किन नम्बरों में होकर कितनी लम्बाई व चौडाई का रास्ता जायेगा का । प्रस्तावित नक्शा मय लम्बाई चौडाई नहीं बनाया गया है। जिसकी वजह से तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.08.2020 अपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट को निरस्त करते हुये प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये नम्बरान में से होकर रास्ता की बाबत प्रस्तावित नक्शा लम्बाई चौडाई के साथ तहसीलदार पहाडी से रिपोर्ट तलब फरमाई जावें।

तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 19.01.2021 को रिपोर्ट पेश की है कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 1951 व 1952 में पहुंचने हेतु रास्ता माँगा गया है। मौका निरीक्षण करने पर पाया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 1941, 1946,1945, 1950 में होकर रास्ता चाहा गया है। जो कि मुख्य सडक कामाँ पहाडी मार्ग से काफी दूर है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1951, 1952 तक पहुंचने के लिये अन्य कोई रास्ता भी उपलब्ध है जो कि पहाडी सीकरी रोड से नजदीक है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता 5 खसरों में से चाहा गया है जिसमें काफी खातेदार प्रभावित होगे।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 1951 एवं 1952 तक पहुंच के लिये खसरा नं0 1949, 1950, 1945, 1946, एवं 1941 में से ग्रेवल सडक मौके पर डली हुई है। परन्तु तहसीलदार पहाडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.01.21 में कही भी वर्णन नहीं किया है। वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार मौका रिपोर्ट को सही बताया है। एवं प्रार्थीगण को उनकी आराजी में से रास्ता न देनें का निवेदन किया है। वकील प्रार्थीगण के आक्षेप पर निर्णय से पूर्व मौके पर सडक है अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में दिनांक 29.01.21 को दो बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्राप्त की गई । क्या मौके पर सडक डली हुई है अगर कोई सडक डली हुई है तो उसकी लम्बाई एवं चौडाई क्या है । दिनांक 01.02.21 को तहसीलदार पहाडी ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । यहाँ पर प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1951 एवं 1952 तक पहुँच हेतु । खसरा नम्बर 1949, 1950, 1945, 1946 एवं 1941 से रास्ता माँगा गया है। तहसीलदार पहाडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.08.2020 में उक्त आराजी तक पहुँचने हेतु जो रास्ता पहाडी कामां मार्ग से मांगा गया है उसे अधिक दूरी वाला दर्शाया गया है एवं पहाडी नगर मार्ग से रास्ते को कम दूरी वाला बताया है। उस मार्ग से रास्ता प्रस्तावित किया है एवं दिनांक 19.01.21 को भी तहसीलदार पहाडी ने प्रार्थीगण द्वारा माँगे गये रास्ते को अत्याधिक दूरी वाला बताया है एव अन्य मार्ग को प्रस्तावित किया है। परन्तु दोनों रिपोर्ट में मौके पर मार्ग/सडक का अंकन नहीं किया गया था। अपितु केवल राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दूरी को दर्शाया गया है। जबकि 251(ए) के प्रकरण में मौके की स्थिति को दर्शाना परमावश्यक है।

दिनांक 01.02.21 को तहसीलदार पहाडी ने मय नक्शा मौके की स्थिति को स्पष्ट किया है । मौके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा पहाडी कामाँ मार्ग से जिन खसरा नम्बर (1941, 1946, 1945, 1950 एवं 1949) में से रास्ता माँगा गया है । उसमें से खसरा नम्बर 1941 रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 1946

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1945, 1950 एवं 1949 में से 20 फुट चौडा एवं 115 मीटर लम्बा रास्ता विद्यमान है एवं 20 मीटर भूमि पर खसरा नम्बर 1950 में रास्ता विद्यमान नहीं है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौका अनुसार प्रार्थीगण को न्यूनतम दूरी का रास्ता पहाडी कामां मार्ग से ही उपलब्ध है। क्योकि 115 मीटर दूरी तक रास्ता खुला हुआ है एवं उसका उपयोग प्रार्थीगण द्वारा पूर्व से ही किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है। उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने से खातेदारी भूमि कृषि कार्य हेतु भूमि भी अनुपयोगी कम से कम होगी। क्योकि मौके पर रास्ता विद्यमान है। केवल 20 मीटर लम्बी भूमि पर रास्ता विद्यमान नहीं है। मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है एवं उक्त रास्ते में पक्षकारान की काश्त की कम से कम भूमि का नुकसान होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 1951, 1952 तक मुख्य सडक पहाडी कामाँ रोड से आराजी खसरा नम्बर 1946, 1945, 1950 एवं 1949 में से होकर 20 फुट चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार पहाड़ी प्रार्थीगण से प्रचलित डीएलसी रेट की दुगनी राशि जमा कराकर खातेदारान को नियमानुसार अदा करेगे एवं राजस्व रिकार्ड में दिनांक 01.02.2021 की रिपोर्ट एवं मौका नक्शा अनुसार गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। तहसीलदार पहाड़ी की दिनांक 01.02.2021 की रिपोर्ट निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner